

लोकतंत्र का पुरातन शास्त्रीय उदारवादी सिद्धान्त

लोकतंत्र की उदारवादी परंपरा में स्वतन्त्रता, समानता, अधिकार, धर्म निरपेक्षता और न्याय जैसे अवधारणाओं का प्रमुख स्थान रहा है और उदारवादी चिंतक आरम्भ से ही इन अवधारणाओं को मूर्त रूप देने वाली सर्वोत्तम प्रणाली के रूप में लोकतंत्र की वकालत करते रहे हैं। तृप्तियों और सामंती प्रभुओं से मुक्ति के बाद समाज के शासन – संचालन की दृष्टि से लोकतंत्र को स्वाभाविक राजनीतिक प्रणाली के रूप में स्वीकार किया गया। मैककफर्सन का कहना है कि पाश्चात्य जगत में लोकतंत्र में आगमन के पहले ही चयन की राजनीति-प्रतियोगी राज्य व्यवस्था और मार्किट की राज्यव्यवस्था जैसी अवधारणाएँ विकसित हो चुकी थीं। हकीकत में इस अर्थ में उदार राज्य का ही लोकतंत्रीकरण हो गया, न कि लोकतंत्र का उदारीकरण। लोकतांत्रिक भावना के आरंभिक चिन्ह टामस मूर (यूटोपिया, 1616) और विस्टैवलै जैसे अंग्रेज विचारकों और अंग्रेज अतिशुद्धवादी (प्लूरिटैनिजन्म) के साहित्य में पाया जा सकता है, किन्तु लोकतांत्रिक भावना की सही शुरूआत सामाजिक संविदा के जन्म के साथ हुई क्योंकि नागरिकों के सामाजिक अनुबंध की अन्तर्निहित भावना ही सभी व्यक्तियों की समानता है। थॉमस हाब्स ने अपनी पुस्तक लेवियाथन (1651) में प्रमुख लोकतांत्रिक सिद्धान्तों की वकालत करते हुए लिखा कि सरकार का निर्माण जनता द्वारा एक सामाजिक संविदा के तहत होता है। जॉन लॉक का कहना था, सरकार जनता द्वारा उसी के हित में होनी चाहिए। एडम स्मिथ ने 'मुक्त बजार' का प्रतिमान इस लोकतांत्रिक आधार पर प्रस्तुत किया कि प्रत्येक व्यक्ति को उत्पादन करने खरीदने और बेचने की स्वतन्त्रता है।

प्रसिद्ध उपयोगितावादी दार्शनिक मिल आरै बेथम ने पूरी तरह लोकतंत्र का समर्थन किया आरै उपयोगितावाद के माध्यम से प्रभावी बौद्धिक आधार प्रदान किया, उनके अनुसार लोकतंत्र उपयोगितावाद अर्थात् अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख को अधिकतम संरक्षण प्रदान करता है, क्योंकि लोग अपने शासकों से तथा एक दूसरे से संरक्षण की उपेक्षा रखते हैं आरै इस संरक्षण को सुनिश्चित करने के सर्वोत्तम तरीके हैं, प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र, संवैधानिक सरकार, नियमित चुनाव, गुप्त मतदान, प्रतियोगी दलीय राजनीति और बहुमत द्वारा शासन, जेओ एसओ मिल ने बेथम द्वारा लोकतंत्र के पक्ष में प्रस्तुत तर्क में एक और बिन्दु जोड़ते हुएकहा है कि लोकतंत्र किसी भी अन्य शासन प्रणाली की तुलना में मानव जाति के नैतिक विकास में सर्वाधिक योगदान प्रदान करता है। उसकी दृष्टि में लोकतंत्र नैतिक आत्मोत्थान आरै वयैवितक क्षमताओं के विकास एवं विस्तार का सर्वोत्तम माध्यम है। इस संबंध में यह उल्लेख है कि बेथम और मिल दोनों में कोई भी सार्वभौम वयस्क मताधिकार अथवा एक व्यक्ति एक मत के पक्ष में नहीं थे। 1802 तक बेथम ने सीमित मताधिकार की वकालत की आरै 1809 में सिर्फ सम्पन्न वर्गों के ग्रहस्वामियों के लिए सीमित मताधिकार का नारा दिया आरै अंतोगत्वा 1817 में सार्वभौम मताधिकार का आवाहन किया, लेकिन इस मताधिकार को मर्दों तक सीमित रखा इसी प्रकार मिल भी सार्वभौम वयस्क मताधिकार के पक्ष में नहीं था, क्योंकि उसे आशंका थी एक वर्ग के लोग बहुसंख्यक होने की स्थिति में अपना प्रभुत्व कायम कर सकते हैं। और अन्य वर्गों के हित के विरुद्ध सिर्फ अपने हित के नियम कानून बना सकते हैं। आगे चलकर अपनी पुस्तक 'रिप्रजेनटेटिव गर्वनमेंट' (प्रतिनिधिमूलक सरकार, 1816) में उसने कुछ लोगों के लिए एक से अधिक मतदान की वकालत की लेकिन खैरात पाने वाले अकिञ्चनों निरक्षरों, दिवालियों, ;कर नहीं चुकाने वाले कोद्ध अर्थात् उन सभी लोगों को जो संयुक्त रूप से श्रमिक वर्ग का निर्माण करते हैं, इससे वंचित

रखा, वह सिर्फ ऐसी प्रतिनिधिमूलक सरकार का हिमायती था। जो आधारभूत समानताओं में दखलंदाजी नहीं करती और मुक्त बाजार और हस्तक्षेप की नीति अपनाकर चलती है। बाद में उदारवादी विचारक लोकतंत्र का समर्थन करते रहे हैं और पश्चिम यूरोप तथा उत्तरी अमेरिका ने इसकी स्वीकार्यता का और आगे बढ़ाने का काम किया।

लोकतंत्र के संबंध में पुरातन उदारवादी मत को समय-समय पर अनेक विचारकों द्वारा चुनौतियां मिलती रही हैं। प्रथमतः, लोकतंत्र की इस मान्यता पर प्रश्न खड़े किए गए हैं कि प्रत्येक व्यक्ति यह जानता है कि उसके लिए सर्वोत्तम क्या है। लॉर्ड ब्राइस, ग्राहम वालास इत्यादि विचारक मानते हैं कि मनुष्य उतना विवेकशील, तटस्थ, जानकार अथवा सक्रिय नहीं है जितना कि प्रजातंत्र के संचालन के लिए उसे मान लिया जाता है। द्वितीयतः लोकतंत्र जनता के शासन की आधारशिला पर टिका होता है, किन्तु यह स्पष्टतः बतलाना आसान नहीं है कि 'शासन' और 'जनता' के बिल्कुल सही अर्थ क्या है। इसलिए सरकार के आधार के रूप में लोकमत एक मिथक है। तृतीयतः लोकतंत्र से अपेक्षा की जाती है कि वह सामान्य हित का काम करेगा, लेकिन सामान्य हित जैसी कोई चीज नहीं भी हो सकती है। किसी भी समाज में सामान्य हित विभिन्न लोगों के लिए विभिन्न अर्थ रख सकता है। चतुर्थतः, पुरातन उदारवादी सिद्धान्त समूह मनोविज्ञान, सामूहिक उत्पीड़न और प्रत्यायन तथा जनोत्तेजक नेतृत्व जैसे कारकों की उपेक्षा कर देता है। पंचमतः, लोकतंत्र में दलीय प्रणाली प्रायः अभिजात्य वर्ग का खेल बन जाती है अथवा उनके द्वारा नियंत्रित होती है जो साधन संपन्न है और वे ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर निर्णय लेते हैं। फिर, नीति-निर्धारण की प्रक्रिया भी काफी जटिल है। उदारवादियों ने अनावश्यक रूप से इसे सरल, पारदर्शी और न्यायसंगत मान लिया

है। और सबसे बड़ी त्रुटि इस सिद्धान्त में यह है कि यह राजनीतिक समानता किन्तु आर्थिक विषमता पर आधारित है।